कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या– 9/उपा०कीट०अनु०–42/2007 (खण्ड–1)– /कृ0, पटना, दिनांक मई.2015

प्रेषक :

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स एरीज एग्रो लि0,
105, ए0 आशियाना प्लाजा, बुद्ध मार्ग, पटना–800001

विषय :– **कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या–178–179 दिनांक 23.07.2008 वैद्यता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन, कोषागार चालान एवं अन्य संगत कागजातो तथा सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सर्वेलेन्स मुख्यालय, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानो के तहत **मेसर्स एरीज एग्रो लि0,** 105, ए0 आशियाना प्लाजा, बुद्ध मार्ग, पटना–800001 द्वारा विर्निमित निम्नलिखित कीटनाशियों का उनके विर्निमाण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैद्यता तिथि के आलोक में अनुज्ञप्ति संख्या–178–179 दिनांक 23.07.2008 का नवीकरण दिनांक 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम
1	Streptomycin Sulphate+Tetracycline Hydrochloride (9:1)
2	Alpha Naphthyl Acetic Acid 4.5% Sol (w/w)

2–उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगाः– मेसर्स एरीज एग्रो लि0, द्वारा–श्री सुरेन्द्र प्रसाद एवं एच0एन0 प्रसाद, उषा वेल्डर्स लि0, कैम्पस के अन्दर (पटना बाइपास रोड के दक्षिण) पटना।

3– यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानो के अनुसार किया जाय।

4– अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण /विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5– भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6– अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7– नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा. तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिर्पोट दर्ज करनी होगी।

8– अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विर्निमाता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9– कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या–178–179 दिनांक 23.07.2008 मूल रूप से संलग्न है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2766 /कृ0, पटना, दिनांक 12 जून ~~मई~~, 2015

प्रतिलिपि– (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।